उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0आर0 नं0–32/2021–22

दौरी देवी एवं अन्य

बनाम्

तेजू ताँती एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 2/4/23

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रक्रिया रिविजनकर्त्ता दौरी देवी वो गौरी देवी वो खैरी देवी उर्फ खेरी देवी, पे0–स्व0 विशेश्वर तँतवा, सभी साकिनान–परसा, थाना–बलबड्डा, अनुमंडल–महागामा, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–14/2017–18 (गौरी देवी वगैरह बनाम् तेजू ताँती वगैरह) के आदेश दिनांक–23.02.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–परसा, जमाबंदी सं0–42 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोसमात लोंगी, पति–लक्ष्मण जोल्हा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत मो0 लोंगी के द्वारा वील दस्तावेज सं0–08 दिनांक–14.03.1928 तैयार किया गया था। उसमें दिखाया गया कि जमाबंदी रैयत को एक मात्र पुत्री चुनचुनिया देवी थी। चुनचुनिया देवी को एक मात्र पुत्र विशेश्वर तँतवा हुए। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–74 दिनांक–09.06.2006 के द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया है। इसके बाद जाँच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि प्रमोद ताँती, पे0–कालो ताँती, ग्राम–तिकलूगंज, पो0–मथुरा, थाना–कहलगाँव, जिला– भागलपुर के है, लेकिन हाल में वह ग्राम–परसा में स्थापित हो गया है। जबकि जमाबंदी रैयत से उनका कोई संबंध नहीं है। हाल सर्वे में भी रिविजनकर्त्ता का नाम दर्ज है। उक्त सारी तथ्यों पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के द्वारा सही तरीका से विचार नहीं किया गया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि दोनों पक्ष एक ही जमाबंदी रैयत के वंशज है, जो कि वंशावली तालिका से स्पष्ट होता है। दोनों पक्षों के बीच जमीन का बँटवारा पूर्व में हो चुका है और उसी अनुरूप अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा जमीन का नामांतरण किया गया। उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध रिविजनकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के न्यायालय अपील वाद दायर किया था, जिसे खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–परसा नं0–12, जमाबंदी सं0–42 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 लंगी जौजे लछुमन जोल्हा के नाम से दर्ज है। वंशावली से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष एक की जमाबंदी के अन्तर्गत के है एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तरवादी के द्वारा अपने हिस्से के अन्तर्गत की जमीन का नामांतरण कराया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महागामा के मुटेशन अपील वाद सं0–14/17–18 में दिनांक–23.02.2021 के पारित आदेश को यथावत रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 12/04/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 12/04/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 11:48:43 +05:30
Location: 172.21.32.1